

**राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय**

मांग संख्या 79

राज्य सभा

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	220.59	220.59	...	284.05	284.05	...	278.79	278.79	...	301.34	301.34	
पूँजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
जोड़	...	<b>220.59</b>	<b>220.59</b>	...	<b>284.05</b>	<b>284.05</b>	...	<b>278.79</b>	<b>278.79</b>	...	<b>301.34</b>	<b>301.34</b>	
<b>संसद - राज्य सभा</b>													
1. सभापति और उप-सभापति	2011	...	0.82	0.82	...	0.92	0.92	...	0.92	0.92	...	0.97	0.97
2. विपक्ष के नेता और उनका सचिवालय	2011	...	1.09	1.09	...	1.32	1.32	...	1.23	1.23	...	1.35	1.35
3. सदस्य	2011	...	106.59	106.59	...	115.11	115.11	...	113.47	113.47	...	125.31	125.31
4. सचिवालय	2011	...	111.13	111.13	...	165.60	165.60	...	162.41	162.41	...	172.65	172.65
5. मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेताओं, उपनेताओं तथा मुख्य सचेतकों का सचिवालय	2011	...	0.22	0.22	...	0.29	0.29	...	0.06	0.06	...	0.25	0.25
6. अन्य व्यय	2011	...	0.74	0.74	...	0.81	0.81	...	0.70	0.70	...	0.81	0.81
<b>जोड़-संसद - राज्य सभा</b>		...	<b>220.59</b>	<b>220.59</b>	...	<b>284.05</b>	<b>284.05</b>	...	<b>278.79</b>	<b>278.79</b>	...	<b>301.34</b>	<b>301.34</b>
<b>कुल जोड़</b>		...	<b>220.59</b>	<b>220.59</b>	...	<b>284.05</b>	<b>284.05</b>	...	<b>278.79</b>	<b>278.79</b>	...	<b>301.34</b>	<b>301.34</b>

1-2. यह प्रावधान राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, विपक्ष के नेता और उनके सचिवालय के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।

3. इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के लिए व्यय, अन्य सुविधाओं के लिए व्यय, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं और विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्राओं के लिए व्यय शामिल है और राज्यसभा सचिवालय में संसद अध्ययन पीठ (चेयर इन पार्लियामेंट स्टडीज) की स्थापना से संबंधित व्यय की व्यवस्था की गई है।

4. इसमें स्टाफ एवं अधिकारियों के वेतन, स्थापना संबंधी जरूरतों, संसद भवन में संचालित रेलवे कैटीन के लिए सत्रिंडी और राज्यसभा टेलीवीजन चैनल से संबंधित व्यय का प्रावधान है।

5. इसमें मान्यता प्राप्त दलों एवं समूहों के नेताओं/उपनेताओं एवं मुख्य सचेतकों के सचिवालय के स्टाफ और अधिकारियों के संबंध में वेतन और भत्तों का प्रावधान है।

6. परामर्शदात्री समिति की बैठकों के संबंध में संसद सदस्यों की घरेलू यात्राओं से संबंधित व्यय की व्यवस्था करता है।